न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 45 / 2022

शिशराम बनाम रामदेव वगैरह

आवेदन पत्र बाजदायरी बाबत पुनः नम्बर पर लिए जाने मुकदमा उनवानी दावा शीशराम बनाम रामदेव मु.न. 168 / 19 आदेश दिनांक 22.01.2021

पैरवीः—

1. श्री महेन्द नेमीवाल एडवाकेटः— आवेदक पक्ष की ओर से
2. श्री सुनील रेवाडः— अप्रार्थी न0 02ः— स्व.जगदीश के वारिसान की ओर से

निर्णय

निर्णय दिनांक 04.07..2024

आवेदक पक्ष की ओर से बाजदायरी बाबत पुनः नम्बर पर लिए जाने मुकदमा उनवानी दावा शीशराम बनाम रामदेव मु.न. 168 / 19 आदेश दिनांक 22.01.2021 पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार से हैः— उनवानी दावा शीशराम नाम रामदेव अदाला हाजा मे विचाराधीन था । परन्तु दिनाक 22—1—2021 को प्रार्थी वादी व व उनके अधिवक्ता अदालत हाजा मे उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण से वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खरिज कर दिया । जबकि वादी को उनके अधिवक्ता ने हिदायत दे रखी थी कि आपकी जब भी जरूरत होगी सूचित कर दिया जावेगा। इसलिए वादी उपस्थित नही हो सका तथा वादी क अधिवक्ता के पास उक्त मुकदमा की तारीख पेशी सहवन से गलत दर्ज हो गयी। इस कारण से उपस्थित नही हो सके ।वादी से कोराना काल के कारण वकील साहव से सम्पर्क नही हो सका । अब दिनांक 4—8—2021 को वादी न्यायालय में आया और अपने वकील से सर्पक किया तव वादी को पता चलने पर तुरन्त नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जिस पर नकल तैयार होने पर तुरन्त यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । वादी / आवेदक का दावा घोषणार्थ, विभाजन व बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे वादी के हित निहित है। इसलिए आदेश दिनाक 22—1—21 को अपास्त किया जाकर दावा पुनः नम्बर पर लिया जाकर वादी को सुनवाई का अवसर दिया थाना न्यायोचित होगा । आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उनधानी दावा शीशराम बनाम रामदेव में आदेश दिनाक 22—1—21 का अपास्त किया जाकर उनवान्नइदावा शीशराम वनाम रामदेव मुन० 168 / 19 को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी / वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया । अप्रार्थी संख्या 02 स्व. श्री जगदीश प्रसाद के वारिसान के ओर से एडवोकेट सुनिल कुमार रेवाड ने वकालतनामा पेश कर मुल प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस का निवेदन किया गया ।

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निम्न कथन किया कि उनवानी दावा शीशराम नाम रामदेव अदालत हाजा मे विचाराधीन था । परन्तु दिनाक 22—1—2021 को प्रार्थी वादी व व उनके अधिवक्ता अदालत हाजा मे उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण से वाद अदम हाजरी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

व अदम पैरवी मे खारिज कर दिया । जबकि वादी को उनके अधिवक्ता ने हिदायत दे रखी थी कि आपको जब भी जरूरत होगी सूचित कर दिया जावेगा। इसलिए वादी उपस्थित नही हो सका तथा वादी क अधिवक्ता के पास उक्त मुकदमा की तारीख पेशी सहवन से गलत दर्ज हो गयी। इस कारण से उपस्थित नही हो सके । प्रार्थी भारतीय सेना में कार्यरत रहा है। इस कारण वाद खारीज होने की जानकारी नहीं हो सकी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 02 के वारिसान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर कथन किया आवेदक / वादी ने महत्वपूर्ण भौतिक तथ्यों को दवाते हुए और छुपाते हुए, गलत बयान दिए हैं (जैसे की उक्त पुनर्स्थापना आवेदन पत्र मियाद बाहर होने के तथ्य को छुपाया और इस माननीय न्यायालय के समक्ष दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत किये गए उक्त प्रार्थना पत्र में भी कोई सार और गुण नहीं है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। आवेदक उक्त प्रार्थना पत्र में कोई आधार बनाने में भी विफल रहा है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाना न्याय संगत है। अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत पुनर्स्थापना आवेदन पत्र (Restoration Application) दायर कि जा सकती है और सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 122 के अनुसार पुनर्स्थापना आवेदन पत्र के लिए सीमा अवधि बर्खास्तगी आदेश दिनांक 22.01.2021 (Dismissal Order) की तारीख से 30 दिन है। इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और काबिले खारिज है।आवेदक / वादी द्वारा उक्त पुनर्स्थापना आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2021 को 191 दिन की मियाद बाहर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यहां यह अति उल्लेखनीय है कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं समझा और तथ्य को माननीय न्यायालय से छुपाते हुए उक्त पुनर्स्थापना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया । जबकि विलंव से प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन पत्र को प्रस्तुत करते समय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र श्पोषणीय नहीं है और काबिले खारिज है। आवेदक / वादी ने माननीय न्यायालय को धोखा देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से गुमराह कर छल कपट के प्रयोजन से उक्त पुनर्स्थापना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध पत्रावली / अभिलेखों से स्पष्ट व स्थापित है। यह कि आवेदक / वादी को पूरा ज्ञान होने के बावजूद कि प्रतिवादी संख्या 2, उसके बड़े भाई की मृत्यु 12.05.2021 को हो गई थी, उसने माननीय न्यायालय को गुमराह किया और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 4 (Order XXII Rule 4, Code of Civil Procedure, 1908 & talks about Procedure in case of death of one of several defendants or of sole defendant) के पूर्ण उल्लंघन में आवेदक / वादी ने इस माननीय न्यायालय को छल कपट के प्रयोजन से विना इस माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाए तथा विना इस माननीय न्यायालय के द्वारा पारित उचित आदेश के माननीय न्यायालय की मुहर और हस्ताक्षर के तहत प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तराधिकारियों के नाम समन जारी करा तामील कराने में कामयाव रहाइसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र श्काबिले खारिज है और इसे अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाना न्याय संगत है। आवेदक ने खारिज वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 श्री संजीव को उक्त पार्थना पत्र में पक्षकर वनाए वगैर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पोपणीय नहीं है और काविले खारिज

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

है। यहां यह अति उल्लेखनीय है कि आवेदक / वादी को न्याय के हित में पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस माननीय न्यायालय ने विवश होकर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 17 नियम 2 / धारा 151 के अंतर्गत अपनी विधिक शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमानुसार अंतर्गत आदेश 9 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत उक्त वाद पत्र संख्या 168/2019 (उनवान शीशराम बनाम रामदेव व अन्य) को एकदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो जो कि न्याय संगत था।इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और काबिले खारिज है।

Emphasis supplied on:-

Longjam Bijoy Singh vs- Keisham Irabot Singh and Ors- & CRP /C-R-P-ART- 227/ Nos- 40 of 2014 and 48 of 2015 decided on 04-02-2022 by the Hon'bleHigh Court of Manipur At Imphal : MANU/MN/0013/2022

Exact extract is reproduced herein below:-

this Court would be justified in examining the conduct of the party all through to ascertain whether 'the failure to appear' was a chronic phenomenon and not a stray instance- As pointed out by the Supreme Court, the effort of the Court should be to see that justice is done, which would include justice to both the parties to the litigation- That being so, a defendant cannot be penalized and made to suffer the rigours of litigation over decades, despite the plaintiff being lax and careless in prosecuting the case. यहां यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि आवेदक ने बर्खास्तगी आदेश (Dismissal Order) दिनांक 22.01.2021 को निर्धारित समय के भीतर चुनौती नहीं दी, जिसके कारण उक्त बर्खास्तगी आदेश (Dismissal Order) (had attained finality in the eyes of law और क्योंकि वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अंतर्गत आवेदक / वादी को नियमानुसार केवल अपील दायर करने का विकल्प उपलब्ध है।

That in the matter of सोनाली जैन बनाम सम्यक जैन एवं अन्य matter under Article 227 No- 6568 of 2023 decided on 04.07.2023 – by the Hon'ble High Court of Allahabad & MANU/UP/1969@2023&it was observed by the Hon'ble Court that गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने के लिए न्यायालय से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, छिपाना और दबाना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह न्यायालय के साथ धोखाधड़ी भी होगी। इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और काबिले खारिज है।

That in the case of Ram Chandra Singh v- Savitri Devi MANU/SC/0802/2003 : /2003/ 8 SCC 319, it has been observed by the Hon'ble Supreme Court as follows:&

Exact extract is reproduced hereinbelow:

" Commission of fraud on court and suppression of material facts are the core issues involved in these matters- Fraud as is well known vitiates every solemn act- Fraud and justice never dwell together-

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

" Fraud is a conduct either by letter or words, which induces the other person or authority to take a definite determinative stand as a response to the conduct of the former either by word or letter"

"It is also well settled that misrepresentation itself amounts to fraud-Indeed, innocent misrepresentation may also give reason to claim relief against fraud-18. A fraudulent misrepresentation is called deceit and consists in leading a man into damage by wilfully or recklessly causing him to believe and act on falsehood. It is a fraud in law if a party makes representations which he knows to be false, and injury ensues therefrom although the motive from which the representations proceeded may not have been bad. इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और काबिले मय कोष्ट खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से बाजदासरी प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित समय सीमा में पेश नही किया है साथ वाद में संयोजित समस्त पक्षकारों को उक्त प्रार्थना में पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त प्रार्थना के परिपेक्ष्यमें सी.पी.सी अधिनियम 1908 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र बाजदासरी सी.पी.सी अधिनियम 1908 के तहत पोषणीय होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों एव न्यायिक दृष्टातों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाता है। मिसल दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा